न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 05/2025 बउनवानी मनोज कुमार जैन **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर,स0मा0
निवासी:-नेहा विला महावीर मार्ग बौंली उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौली

GCMS No-2025/31

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
27.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर, उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *वाके ग्राम रवासा के गत ख0न0 19/1 मिन 8 रकबा 10 बीघा (खातेदार श्रीमती चांद देवी रूरल डवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी बौंली, श्रीमति शर्मिला, प्रेमलता, प्रीति जैन,) के संदर्भ में नक्शा शुद्वि विवाद एवं गलत सीमाज्ञान ख0न0 50/813,50/803 दिनांक 28.6.2023 से संबंधित चल रही है के संबंध में बिन्दु संख्या 1(1–15), 2(1–14),3,4 की सूचना*" अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर, उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर, उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक:एफ.13(1)(122)/सूकाअ/2024/187 दिनांक 24.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बिन्दु संख्या 1 लगायत 7,10 लगायत 12 एवं 14 मे चाही गयी सूचना/दस्तावेजो के निरीक्षण/अवलोकन करने हेतु दिनांक 3.1.2025 को कार्यालय समय मे उपस्थित होने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ.13(1)(122) सूकाअ/1274 दिनांक 27.12.2024 द्वारा लिखा गया था एवं बिन्दु संख्या 8,9,13,व 15 की सूचना हेतु उपजिला कलेक्टर बौंली एवं तहसीलदार बौंली को लिखा गया था जिसकी पालना मे उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा जरिये पत्रांक 8169 दिनांक 13.1.2025 से अपीलान्ट को लिखा गया है कि बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु संख्या 3 लगायत 15 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने से सूचना नही दी जा सकती तथा बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु 1 लगायत 14 व बिन्दु संख्या 3,4 की सूचना से संबंधित रिकार्ड के अवलोकन करने हेतु दिनांक 23.1.2025 को कार्यालय मे उपस्थित होने बाबत उपजिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 8290 दिनांक 16.1.2025 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है तथा तहसीलदार बौंली द्वारा भी चाही गयी सूचनाओं का पूर्ण विवरण अंकित करने बाबत जरिये पत्रांक 202 दिनांक 12.12.2024 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रेषित कर अवगत तहसीलदार द्वारा गलत जवाब दिया जाकर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। मुझे कोई पत्र नही मिला है इसलिए तहसीलदार बौंली से चाही गयी सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 3 लगायत 15 की सूचना से संबंधित परिवाद अपने कार्यालय मे प्राप्त होना बताते हुए स्पष्ट विशिष्टिया अंकित करने बाबत उपजिला कलेक्टर बौली द्वारा अपीलान्ट को लिखा गया है। उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना के संबंध मे यदि ओर जानकारी की आवश्यकता हो तो अपीलान्ट से प्राप्त कर सूचना (प्राप्त परिवादों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी) अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निरस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:44 IST
Reason: SelfAttested